

विधान सभा प्रश्न
तत्काल/ आज ही

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वन एवं वन्य जीव विभाग
ए-ब्लॉक, द्वितीय तल, विकास भवन, आई.पी.एस्टेट,
नई दिल्ली-110002.
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

फा.स.266/डी.सी.एफ. (पी.एंड.एम.)/वि.स.प्र./अतारांकित संख्या-81/2018-19/1765-68 दिनांक:- 26-2-19

सेवा मे


उप सचिव (प्रश्न शाखा)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार,
दिल्ली विधान सभा सचिवालय,
पुराना सचिवालय,
दिल्ली-110054.

विषय: विधान सभा प्रश्न संख्या-81 (अतारांकित) जो कि दिनांक 27.02.2019 को माननीय सदस्य श्रीमति प्रमिला टोकस द्वारा पूछा जाना है।

महोदय,

उपरोक्त प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियाँ आपकी अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजी जा रही है।

भवदीय,


(भरत महेश्वरी)

उप- वन संरक्षक (पी. एंड एम.)

प्रतिलिपि:

1. प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली।
2. सचिव, पर्यावरण एवं वन, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली-02 के सूचनार्थ हेतु।
3. निदेशक, सूचना एवं प्रसारण, निर्देशालय दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली। (150 प्रतियाँ)।


उप- वन संरक्षक (पी. एंड एम.)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वन एवं वन्य जीव विभाग,
ए-ब्लॉक, द्वितीय तल, विकास भवन, आई. पी. एस्टेट,
नई दिल्ली-110002.

अतारंकित प्रश्न संख्या : 81

दिनांक :- 27.02.2019

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्रीमति प्रमिला टोकस

क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्र. संख्या	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या दिल्ली में डेवलपमेंट के नाम पर अलग-अलग क्षेत्रों में जो पेड़ों की कटाई की गई है उसकी परमिशन दी गई थी;	जी हाँ, दिल्ली वृक्ष (परिरक्षण) अधिनियम, 1994 के अंतर्गत दिल्ली में किसी भी वृक्ष को काटे / हटाने जाने की अनुमति उस क्षेत्र के संबन्धित वृक्ष अधिकारी से लेना अनिवार्य है।
(ख)	यदि हाँ, तो किस नियम के तहत;	दिल्ली के विकास में संलग्न विभिन्न विकास इकाइयों को अलग-अलग क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई की अनुमति दी जाती रही है। यह अनुमति दिल्ली वृक्ष (परिरक्षण) अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अंतर्गत दी जाती है।
(ग)	क्या यह सत्य है कि पेड़ काटने वाली एजेंसी ने उन नियमों का पालन नहीं किया;	पेड़ों के कटान के नियमों का पालन न होने की स्थिति में ऐसी विकास इकाइयों के विरुद्ध दिल्ली वृक्ष (परिरक्षण) अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की गई है जिसका नवीनतम ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।
(घ)	यदि हाँ, तो उनके खिलाफ कि गई कानूनी कार्रवाई का पूर्ण विवरण क्या है;	
(ङ)	भविष्य में दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सरकार कि योजना का विस्तृत विवरण क्या है;	गत वर्ष 27 लाख से अधिक पौधे वन एवं सहयोगी हरित एजेंसी के द्वारा लगाए जा चुके हैं इसके अतिरिक्त 5 लाख के लगभग पौधे इसी वर्ष 31 मार्च तक लगाने का लक्ष्य है। इसी तरह प्रत्येक वर्ष 10 लाख से अधिक पौधे लगाने की योजना है।

Bmk
26/2/19
Dy. Conservator of Forests (HQ)
Department of Forests & Wild Life
Govt. of N.C.T. of Delhi
A-Block, IInd Floor, Vikas Bhawan
I.P. Estate, New Delhi-110002